सं0–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021–2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

संकल्प
18, अगस्त, 2021

विषयः– वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) से उपर ₹3.00 लाख (तीन लाख रू0) तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति दर के अनुरूप राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को **"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना"** से लाभान्वित करने की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान् छात्र / छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम तथा केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् सरकारी शिक्षण संस्थानों तथा विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / विश्वविद्यालय / संस्थान में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को छात्रवृति की स्वीकृति दी जाती है। केन्द्र प्रायोजित योजना में आहर्ता के रूप में विद्यार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय (सभी स्त्रोत से) ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) निर्धारित है।

प्रायः देखा जाता है कि राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों / मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क समाज के कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के पहुँच के बाहर रहता है।

2– उक्त स्थितियों के कारण सम्बन्धित विद्यार्थियों का पाठ्यकम राशि के अभाव में बाधित नहीं हो, इसलिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित करने के उद्देश्य से ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) से उपर ₹3.00 लाख (तीन लाख रू0) तक के वार्षिक पारिवारिक आय (सभी स्त्रोत से) अधिसीमा वाले विद्यार्थियों के लिए सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिए गए है :–

(i) वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) से उपर ₹3.00 लाख (तीन लाख रू0) तक के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर पाठ्यक्रमों के लिए राज्य

P.T.O.

सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति दर के अनुरूप राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर सरकारी शिक्षण संस्थानों/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को **"मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना"** से लाभान्वित किया जाएगा।

(ii) इस योजना पर व्यय होने वाली राशि का वहन राज्य स्कीम से किया जाएगा।

3– प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर ₹2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रू0) तक की वार्षिक आय अधिसीमा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के निर्गत मार्गदर्शिका तथा समय–समय पर पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति दर के अनुरूप, जो तत्समय प्रवृत्त हों, यथावश्यक परिवर्त्तन सहित (Mutatis Mutandis) इस योजना पर भी लागू होगी।

4– इस योजना के तहत आच्छादित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–4061 दिनांक–16.05.2016 के अनुसार निर्धारित दर पर विभागीय संकल्प सं0–3098 दिनांक–20.12.2017 के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

5. **योजना के लिए आवश्यक निधि का श्रोत :–**

बजट–शीर्ष

राज्य स्कीम के तहत माँग संख्या–44 में अनुसूचित जाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति के लिए मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण उप मुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण से विकलनीय होगा।

आदेश:–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग / मिशन निदेशक, बिहार महादलित विकास मिशन, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः–सचिव, राज्यपाल सचिवालय / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5 / निदे0(प्रवे0छात्र0)01–09 / 2021– 2416 पटना, दिनांक– 18.08.2021

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।